

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी—विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक

निर्णय दिनांक

01.09.2023

03.11.2023

उनवान

प्रकरण संख्या
310/2023

1. श्री कल्याणदास पिता मथुरादास बैरागी, निवासी मण्डपिया तहसील व भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति उगमी देवी पत्नि नन्दराम दास वैष्णव निवासी मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री रतनदास पिता नन्दराम दास वैष्णव निवासी मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री नारायण पिता नानादास वैष्णव निवासी मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।
4. श्री भंवरदास पिता नानूदास वैष्णव निवासी मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।
5. श्री भंवरदास पिता नानादास वैष्णव निवासी मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।
6. श्रीमति मंजू पुत्री नानादास वैष्णव निवासी मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।
7. श्री कन्हैयालाल पिता अमरचंद बैरागी निवासी मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।
8. श्री राजुलाल पिता अमरचंद बैरागी निवासी मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।
9. श्रीमति शांतिदेवी पत्नि अमरचंद दास बैरागी निवासी मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।
10. श्री सोहनलाल पिता अमरचंद दास बैरागी निवासी मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।
11. श्री बंशीदास पिता मथुरादास बैरागी निवासी मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।
12. श्री भैरूदास पिता बालूदास बैरागी निवासी मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।
13. श्री धन्नादास पिता बालूदास बैरागी निवासी मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।
14. श्रीमति नन्दुबाई पत्नी बालूदास बैरागी निवासी मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।
15. श्री कैलाश पिता लादू कुम्हार निवासी मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।
16. श्रीमति कमला पत्नि श्यामलाल प्रजापत निवासी मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।
17. श्री माधु पिता छोगा प्रजापत निवासी मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।
18. श्री मीदू पिता छोगा प्रजापत निवासी मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।
19. श्री लक्ष्मण पिता पिता रूपलाल कीर निवासी मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।
20. श्री बाली बाई पत्नी रामचन्द्रदास वैष्णव निवासी मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।
21. श्री कालू पुत्र रामचन्द्रदास वैष्णव निवासी मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।
22. श्री कैलाशी पुत्री रामचन्द्रदास वैष्णव निवासी मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।
23. श्रीमति विमला पुत्री रामचन्द्रदास वैष्णव निवासी मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।
24. श्रीमति आशा पुत्री रामचन्द्रदास वैष्णव निवासी मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।
25. पुष्प पुत्री रामचन्द्रदास वैष्णव निवासी मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा।
26. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—विपक्षीगण

उपस्थित—अधिवक्ता प्रार्थी श्री कैदार वैष्णव

अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मण्डपिया प080 मण्डपिया भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटूण तहसील व जिला भीलवाडा की

Handwritten signature and stamp at the bottom of the page.

जमाबन्दी संवत 2071-2074 के खाता संख्या 65 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 1125 रकबा 0.0885 है0, आ.नं. 1138/1 रकबा 0.0506 है0, आ.नं. 1139/1 रकबा 0.1138 है0, आ.नं. 1140/1 रकबा 0.0379 है0, आ.नं. 1194/1125 रकबा 0.0126 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 0.3034 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है।

और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित किया जावे। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण नियत पेशी पर आदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काशतकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन(पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम,1956 स्वीकार किया जाता है।

तथा तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा मण्डपिया प0ह0 मण्डपिया भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटूण तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071-2074 के खाता संख्या 65 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 1125 रकबा 0.0885 है0, आ.नं. 1138/1 रकबा 0.0506 है0, आ.नं. 1139/1 रकबा 0.1138 है0, आ.नं. 1140/1 रकबा 0.0379 है0, आ.नं. 1194/1125 रकबा 0.0126 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 0.3034 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 03.11.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

cy
विनीत कुमार
उपरखण्ड अधिकारी
भीलवाडा